महत्वपूर्ण/शीघ्र

संख्या– 1170/नौ–9–2019–113ज/19

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव,** गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. **मण्डलायुक्त,** मेरठ, आगरा, अयोध्या, गोरखपुर, एवं बरेली, उ0प्र0।
3. **मिशन निदेशक,** स्मार्ट सिटी, उ0प्र0, लखनऊ।
4. **नगर आयुक्त,** नगर निगम, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2019**

विषय–प्रदेश के 07 नगर निगमों (मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर) को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के उपरान्त शेष 07 नगर निगम शहरों–मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिया गया है। इस हेतु राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 **संलग्न** कर प्रेषित की जा रही है। उक्त शहरों को गृह विभाग के सहयोग से स्मार्ट तथा सेफ सिटी (Smart and Safe city) के रूप में विकसित किया जाना है। अतः योजनान्तर्गत चयनित किये जाने वाले कार्य एवं तद्नुसार विस्तृत परियोजना प्रस्ताव इस प्रकार तैयार किये जाये कि राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित शहरों का विकास स्मार्ट तथा सेफ सिटी के रूप में सम्भव हो सके।

2. राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के अन्तर्गत निर्धारित प्रकियानुसार मण्डलायुक्त संबंधित नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी की समिति द्वारा कार्यों का चयन कर उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गठित कराकर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

30.9.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

A.K.@ Smart -go-19

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) **महालेखाकार,** (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज, उ0प्र0।

(2) **महालेखाकार,** (लेखा परीक्षा अनुभाग) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज, उ0प्र0।

(3) **मिशन निदेशक,** अमृत/स्वच्छ भारत मिशन/नमामि गंगे, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) **निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) **मुख्य कोषाधिकारी,** जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) **जिलाधिकारी,** मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर उ0प्र0।

(7) **सहायक निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(8) **वित्त नियंत्रक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।

(10) **कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल,** नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाईड लाईन्स, 2019

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट 2019–20 पर चर्चा के समय मा0 सदन में प्रदेश के उन नगर निगमों को जो केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित नहीं है, को स्मार्ट सिटी के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किये जाने की घोषणा की गयी है। ऐसे 07 नगर निगम यथा– मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा एवं शाहजहाँपुर है। इन शहरों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन किया जाना है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा नगर विकास विभाग के विभागीय बजट के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

2. स्मार्ट सिटीः

2.1 राज्य सरकार का स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक सक्षम, नई पहल है इसका तात्पर्य ऐसे उदाहरण स्थापित करने से है, जो स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोनों ओर परिलक्षित हो सके जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और भागों में ऐसे स्मार्ट सिटी का निर्माण करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सके।

2.2 स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

i पर्याप्त जलापूर्ति,

ii सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति,

iii ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सहित सफाई

iv सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन,

v विशेषतः गरीबों के लिए किफायती आवास,

vi सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजीटलाइजेशन,

vii सुशासन, विशेषतः ई–गवर्नेन्स और नागरिक भागीदारी,

viii स्वच्छ पर्यावरण,

ix विशेषतः महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा और,

X स्वास्थ्य और शिक्षा

2.3 राज्य स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकृति की परियोजनाएं अनुमन्य होंगीः–

1. ई–गवर्नेन्स एवं सिटीजन सर्विसेजः

(1) पब्लिक इनफारमेशन, ग्रीवान्स रिड्रेसल।
(2) इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलीवरी, इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एण्ड कमान्ड सेन्टर।
(3) सिटीजन इंगेजमेन्ट।
(4) सिटीजन–सिटीज आई एण्ड इयर्स।
(5) वीडियो क्राइम मानीटरिंग।

2. वेस्ट मैनेजमेन्टः

(1) वेस्ट टू इनर्जी एण्ड फ्यूल।
(2) वेस्ट टू कम्पोस्ट।
(3) वेस्ट वाटर का शोधन।
(4) रि–साइक्लिंग एण्ड रिडक्शन ऑफ सी एण्ड डी वेस्ट।

3. वाटर मैनेजमेन्ट/सीवर ट्रीटमेन्टः

(1) स्मार्ट मीटर्स एण्ड मैनेजमेन्ट।
(2) लीकेज आइडेन्टीफिकेशन, प्रीवेन्टिव मेन्टीनेन्स।
(3) वाटर क्वालिटी मानीटरिंग।
(4) पेयजल व सीवर संबंधी योजनायें/ट्रीटेड वाटर रीयूज।

4. इनर्जी मैनेजमेन्टः

(1) स्मार्ट मीटर्स एण्ड मैनेजमेन्ट।
(2) रिनीवेबिल सोर्स ऑफ एनर्जी।
(3) एनर्जी इफिसियेन्ट एण्ड ग्रीन बिल्डिंग्स,एनर्जी इफिसियेन्ट स्ट्रीट लाइट आदि।
(4) स्ट्रीट लाईट की पृथक वायरिंग।

5. अरबन मोबिलिटीः

(1) इन्टेलीजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम।
(2) इन्टीग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट।
(3) स्मार्ट पार्किंग फैसिलिटीज।
(4) स्मार्ट रोड्स।

6. अन्यः

(1) टेलीमेडिसिन एण्ड टेलीएजूकेशन।
(2) इनक्यूबेशन/ट्रेड फैसिलिटेशन सेन्टर्स।
(3) स्किल डेवलपमेन्ट सेन्टर्स।
(4) ग्रीन स्पेस/पार्क का विकास।

3. स्मार्ट सिटी की विशेषताएं

3.1 स्मार्ट सिटी की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. भूमि उपयोग को और अधिक सक्षम बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकास व अनियोजित क्षेत्रों के लिए योजना जिसमें कई संगत कार्यकलाप और मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना। परिवर्तन को रूपांतरित करने के लिए भूमि उपयोग और भवन उप–नियमों में आवश्यक बदलाव।

ii. भीड़भाड़ तथा वायु–प्रदूषण को कम करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना। सड़क नेटवर्क न केवल वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए बल्कि पैदल यात्रियों और साइकिल वालों के लिए बनाया जाना अथवा व्यवस्थित किया जाना।

iii. नागरिकों के जीवन–गुणवत्ता बढ़ाने, शहरी क्षेत्र में गर्मी के प्रभावों को कम करने तथा सामान्यतया पारिस्थितिकी की संतुलन को बढ़ावा देने के लिए खुले स्थानों, पार्कों, खेल के मैदानों और मनोरंजनात्मक स्थानों को विकसित करना;

iv. भिन्न–भिन्न प्रकार के परिवहन विकल्पों–परिवहनोन्मुखी विकास, सार्वजनिक परिवहन और Last mile परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना;

v. शासन को नागरिक–अनुकूल और लागत प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरोत्तर ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भरता बढ़ाना। सेवाओं की लागत कम करने के लिए मोबाइल का उपयोग करना और नगर कार्यालयों में जाए बिना सेवाएं प्राप्त करना। लोगों को सुनने के लिए ई–ग्रुप बनाना तथा फीडबैक प्राप्त करना और कार्यस्थलों के साइबर दौरे की सहायता से कार्यक्रमों और कार्यकलापों की ऑनलाइन मानीटरिंग करना;

vi. स्थानीय आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला–कृतियों और शिल्प, संस्कृति खेल की वस्तुओं, फर्नीचर, होजरी, वस्त्र, डेरी इत्यादि जैसे इसके मुख्य कार्यकलापों के आधार पर शहर को एक पहचान देना;

vii. अवस्थापना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र–आधारित विकास के लिए स्मार्ट समाधानों को प्रयुक्त करना, उदाहरणार्थ–क्षेत्रों को आपदाओं से सुरक्षित बनाना, कम संसाधनों का उपयोग करना और सस्ती सेवाएं प्रदान करना।

4. कवरेज और अवधि

यह मिशन प्रथम चरण में 07 नगर निगमों को कवर करेगा और इसकी अवधि पांच वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2024–25) होगी। इसके पश्चात् इस मिशन को राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए जारी रखा जा सकता है और इस मिशन में अन्य शहरों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

5. कार्यनीति

5.1 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र–आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक नगर सुधार (रिट्रोफिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) के अतिरिक्त पैन–सिटी प्रयास जिसमें शहर के बड़े भागों को कवर करते हुए सुव्यवस्थित समाधान (स्मार्ट साल्यूशन) लागू किया जाना है।

5.2 पैन–सिटी विकास में वर्तमान शहर–व्यापी अवसरंचना में चुनिंदा सुव्यवस्थित समाधानों के प्रयोग की कल्पना की गयी है। स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग में प्रौद्योगिकी, सूचना और डाटा शामिल हैं, जो अवसंरचना और सेवा को उत्तम बनायेंगे। उदाहरणार्थ, परिवहन क्षेत्र में (कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली) स्मार्ट समाधान प्रयोग में लाना और यात्रा समय अथवा नागरिकों की लागत में कमी लाना जिससे उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और नागरिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार होगा। एक अन्य उदाहरण अपशिष्ट जल पुनःचक्रण और स्मार्ट मीटर व्यवस्था है जो शहर में बेहतर जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

5.3 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजनान्तर्गत योजनायें जो क्रियान्वित की जायेगी, वे स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप समिति द्वारा चयनित कर तैयार की जायेंगी एवं नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त क्रियान्वित की जायेगी। केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत क्रियान्वयन के दौरान यह अनुभव किया गया है कि कतिपय योजनाएं यथा इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एण्ड कमान्ड सेन्टर (आई0सी0सी0सी0) ऐसी हैं, जिनका क्रियान्वयन समस्त स्मार्ट सिटी में किया जाना है, इनके लिए शहर स्तर से अलग–अलग कार्यवाही करने पर न केवल क्षमता का ह्रास होता है वरन् समय एवं धन भी अधिक लगता है अतः इस प्रकृति की योजनाओं का क्रियान्वयन एकीकृत रूप से राज्य स्मार्ट सिटी मिशन निदेशालय स्तर से भी किया जा सकता है। इन परियोजनायें का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय मिशन निदेशालय के माध्यम से समस्त स्मार्ट सिटी शहरों एवं राज्य स्तर पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु राज्य मिशन निदेशालय, सम्बन्धित शहर की समिति/स्थानीय निकाय एवं परामर्शदात्री फर्म/चयनित बिडर के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

6. संस्थागत ढाँचा एवं निगरानी तंत्र

6.1 परियोजनाओं का चयन संबंधित शहर की समिति जिसकी अध्यक्षता मण्डलायुक्त करेंगे तथा जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त सदस्य होंगे, के माध्यम से किया जायेगा। शहर स्तर पर मण्डलायुक्त, संबंधित नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी की एक समिति द्वारा कार्यों का चयन कर उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) गठित कराकर शासन को नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सक्षम स्तर के अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। समिति अपनी कार्य की आवश्यकता के अनुसार अन्य विशेषज्ञ विभागों के अभियन्ताओं तथा विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त कर सकता है।

6.2 भारत सरकार द्वारा संचालित स्मार्ट सिटी मिशन का निदेशक ही राज्य स्मार्ट सिटी मिशन निदेशक होगा, जो इस मिशन से संबंधित सभी गतिविधियों का सम्पूर्ण प्रभारी होगा। मिशन निदेशालय, एक प्रोजेक्ट मैनेटमेन्ट कन्सल्टेन्ट की सेवाएं लेगा।

राज्य मिशन निदेशालय के दायित्व निम्नलिखित होगेः–

i स्मार्ट सिटीज़ मिशन का अनुकूल ब्लू प्रिन्ट एवं विस्तृत कार्यान्वयन के रोडमैप को तैयार करना।

ii राज्य, शहरी स्थानीय निकायों (य0एल0बी0) और वाह्य हितधारियों के साथ समन्वय करना ताकि वाह्य एजेंसियों का स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एस0सी0पी0), डी0पी0आर0 तैयार करने, बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करने, स्मार्ट समाधान तैयार करने आदि के कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

iii शहर की हैण्डहोल्डिंग में सहायता करना। आर0एफ0पी0 दस्तावेजों का मॉडल, डी0पी0आर0 का ड्राफ्ट वित्त मॉडल, भूमि के मुद्रीकरण के विचार, वित्तीय साधनों का उपयोग, जोखिम को कम करने की तकनीक और राज्य एवं यू0एल0बी0 के बीच जानकारी साझा करने हेतु तंत्र (प्रकाशनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों द्वारा) विकसित करना और उसे बनाए रखना।

iv राज्य मिशन निदेशालय स्तर से क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का डी0पी0आर0 आदि तैयार करना, उनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करना।

v विभिन्न स्मार्ट सिटी से योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित नगरीय निकाय से प्राप्त कर शासन (नगर विकास विभाग) को उपलब्ध कराना तथा विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशियाँ संबंधित स्थानीय निकाय/परामर्शदात्री फर्म को उपलब्ध कराया जाना।

vi परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता का अनुश्रवण तथा प्रगति की समीक्षा।

7. राज्य क्षेत्र में कितने स्मार्ट सिटी होंगेः

प्रथम चरण में 07 नगर निगमों (मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा एवं शाहजहाँपुर) का राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत विकास किया जाना प्रस्तावित है। मिशन के कियान्वयन की समीक्षा के उपरान्त अन्य शहरों को भविष्य में सम्मिलित किया जा सकता है।

8. समिति द्वारा कार्यान्वयन

नगर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए सृजित समिति के माध्यम से किया जाएगा। समिति राज्य स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन, चयन, धनराशि निर्गत कराने, कार्यान्वयन, प्रबंध, संचालन, निगरानी तथा आंकलन के लिए उत्तरदायी होगी।

9. स्मार्ट–सिटीज़ का वित्त पोषण

9.1 स्मार्ट सिटी मिशन को एक राज्य प्रायोजित स्कीम (एसएसएस) के रूप में चलाया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में धनराशि रू0 250.00 करोड़ प्रत्येक शहर को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है यानी प्रत्येक शहर के लिए प्रति वर्ष 50 करोड़ रूपये।

9.2 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि परियोजना लागत के एक भाग को ही पूरा कर पायेगी। अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित से एकत्र की जानी होगी–

i. यूएलबी को अपने स्वयं के स्रोतों से जैसे प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, लाभार्थी प्रभार और प्रभाव शुल्क, भूमि का मुद्रीकरण, उधार एवं ऋण आदि।

ii. चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों की स्वीकृति के कारण हस्तांतरित अतिरिक्त संसाधन।

iii. नवीकृत वित्त पोषण तंत्र जैसे यूएलबी की क्रेडिट रेटिंग के साथ नगर पालिका बांड, सामूहिक वित्त तंत्र, कर सवंर्धित वित्त पोषण।

iv. राज्य सरकार की अन्य स्कीमें जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सवंर्धन योजना (हृदय)।

v. पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र।